न्यायालय– एकादश्, अपर सत्र न्यायाधीश
सारण, छपरा।
ए.बी.पी.न0–825 / 2026
डेरनी थाना कांड सं0–245 / 2024

अनीश कु0 राय **बनाम्** **बिहार राज्य**

25.03.2026 आवेदक अभियुक्त अनीश कुमार राय उर्फ अनीश कुमार की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–825/2026, डेरनी थाना कांड संख्या 245/2024, अंतर्गत धारा 191(1), 191(2), 191(3), 115(2), 303(2), 74, 329(4), 109(1), 352,351(2),3(5) भा0न्या0सं0 एवं धारा 27 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक कुमार एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री जितेन्द्र कुमार सिंह को सुना।

अभियोजन के अनुसार अभियुक्त पर आरोप संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 16.1.2024 को सूचक की चचेरी बहन की शादी है जिसके लिए समान गहना, जेवर कीमती–कीमती कपड़ा की खरीददारी कर घर में रखा हुआ था। इसी कम में गांव के तथा अन्य गांव के अपराधी गूट के द्वारा एकमत होकर डकैती एवं लूट के नियत से हरवे हथियार से लैश सुमन राय, मनोज राय, लालू कुमार, पप्पु कुमार ,विक्की कुमार, योगेन्दर राय, धीरज राय, अंशु कुमार, कुनाल कुमार, हरखु राय, रंजीत कुमार, अनिश कुमार, मुन्ना कुमार राज किशोर उर्फ पंडित राय, रजनीश कुमार, हरेश कुमार, सचीन कुमार, गुड्डू कुमार सभी देशी राईफल, कट्टा, तलवार, भूजाली रॉड से लैश होकर सूचक के घर के दरवाजे में धक्का देते हुए दिनांक 09.11.2024 को समय करीब दस बजे रात्रि में घ ुसते हुए घर में रखा, गहना जेवर, रूपया, शादी का कीमती कपड़ा से भरा बक्सा एवं अटैची को पिस्तौल राईफल भीड़ा उठाने लगे जैसे ही सूचक मना किया तो इतने में मनोज राय अपने हाथ में लिए देशी कट्टा से जान मारने के नियत से सूचक को निशाना बनाते हुए टीगर दबा दिया परन्तु गोली फायर नहीं हुआ इतने में सूपन राय अपने हाथ में लिए देशी राईफल के बट से जान मारने के नियत से सर पर प्रहार कर दिया जिससे सर बुरी तरह फटते हुए खून बहने लगा, सूचक गिर पड़ा इतने में सभी लात बंदूक के कुंदा से सूचक के छाती एवं शरीर पर ताबड़–तोड़ प्रहार करने लगे। सूचक के मुंह से खून का उल्टी होने लगा उसी समय सभी घर के महिलाओं को पिस्तौल भिड़ा इज्जत लूटने का प्रयास करते हुए कपड़ा फाड़ बेपर्द कर दिया तथा गले एवं कान में पहने सोने चांदी का गहना उतार लिया विरोध करने पर महिलाओं के छाती पेट गुप्त अंगों पर घुसा लात से मारा जा रहा था इसी कम में सूचक का चचेरा भाई बचाने आया तो उसे भी पकड़ कर लात मुक्का से मारते हुए गला दबाने लगे।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस करते हुए कहा गया कि आवेदक की ओर से अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त निर्दोष है उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक का आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक पर लगाये गये आरोप झूंठा है। आवेदक के पास से कोई बरामदगी नहीं है। सह–अभियुक्तगण को एबीपी सं0 323/2025, बीपी 2138/2024 एवं माननीय उच्च न्यायालय पटना के क्रि0मि0 46080/2025 द्वारा जमानत का लाभ प्रदान किया गया है। अंत में विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा

जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि आवेदकगण द्वारा कारित अपराध काफी गंभीर प्रकृति का है। इसलिए आवेदकगण का जमानत आवेदन खारिज किया जाये।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी डेरनी थाना कांड संख्या 245/2024, अंतर्गत धारा 191(1), 191(2), 191(3), 115(2), 303(2), 74, 329(4), 109(1), 352,351(2),3(5) भा0न्या0सं0 एवं धारा 27 आर्म्स एक्ट में पंजीकृत कराई गई है। कांड दैनिकी के कंडिका–40 में जख्म प्रतिवेदन है जिसे चिकित्सक ने जख्म को साधारण प्रकृति का पाया है। कंडिका–75 में आपराधिक इतिहास के संदर्भ में अंकित है जिसके अनुसार आवेदक के विरूद्ध एक प्राथमिकी संस्थित है। अन्य सह–अभियुक्तगण को इस न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय पटना के क्रि0मि0 46080/2025 द्वारा जमानत की सुविधा प्रदान की गई है। आवेदक/अभियुक्त पर मारपीट का एक समान आरोप लगाया गया है। आवेदक द्वारा कारित अपराध एवं जख्म की प्रकृति एवं उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक को निम्न शर्तों पर जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदक अभियुक्त अनीश कुमार राय उर्फ अनीश कुमार के द्वारा इस आदेश से 30 दिन के अंदर विद्वान विचारण न्यायालय में आत्म–समर्पण करने या गिरफ्तार किये जाने पर आवेदक अभियुक्त को मो0 10,000/रु0 के बन्ध पत्र एवं उतने ही राशि के दो प्रतिभुओं वाले बन्ध–पत्र निष्पादित किये जाने पर विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर भा0ना0सु0सं0 की धारा 482(2) में उल्लिखित प्रावधानों एवं एक जमानतदार आवेदक का निकट संबंधी होगा, के शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

एकादश, अपर सत्र न्यायाधीश
सारण, छपरा।